

राजस्थान सरकार
 भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला = भीलवाडा
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प सातलिया.....

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सातलिया..... व भू.अ.नि. सातलिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सातलिया..... तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् २०२५..... में खाता संख्या ५४४..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
१.	<u>सातलिया</u>	५४४	सुरेश प्रि० काना श्यामा पुत्री काना उडा प्रि० हिन्दुडा ना० काठवठ वि० माता देऊ बेवा हिन्दुडा भंवलाल प्रि० भंरु नन्दु उगनी चांदु चापू पुत्री भंरु सुनट	सुरेश प्रि० काना श्यामा पुत्री काना ५७ उडा प्रि० हिन्दुडा ना० काठवठ वि० माता देऊ बेवा हिन्दुडा ५७ भंवलाल प्रि० भंरु ५७ नन्दु ५७ उगनी ५७ चांदु ५७ चापू ५७ पुत्री भंरु सुनट

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक :- 554/18

दिनांक :- 23/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री सुरेश प्रि० काना पुत्री..... को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भू-अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा